राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :— 70/2002
निर्णय दिनांक :— 23/3/2020

वादी :—

मोतीलाल पुत्र मोहनलाल जी आयु—वयस्क जाति—गरूडा, निवासी—देसूरी जिला—पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. मृतक भीखी पुत्री ताराजी पत्नी भीमारामजी जाति—मेघवाल निवासी—देसूरी के कायम मुकाम वारिसान
   1/1 हिम्मतराम पुत्र भीमारामजी
   1/2 कीकी उर्फ पिस्ता पुत्री भीमारामजी पत्नी खरताराम जी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:—

1. श्री दिलीप व्यास अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. वकील प्रतिवादी संख्या—1 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 23/3/2020

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम देसूरी तहसील—देसूरी जिला—पाली में मुस्समी तारा पुत्र भगवान जाति—मेघवाल निवासी—देसूरी (प्रतिवादी संख्या 1 के पिता) की खातेदारी की कब्जा सुदा कृषि भूमि आराजी पुराने खसरा नम्बर 342/7 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय विद्यमान थी, जिसमें से 1.5 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय बने है, उस कृषि भूमि को जरिये विक्रय विलेख दिनांक 24.01.1981 के [illegible] से वादी ने खरीद की एवम् इसका कब्जा वादी को उसी रोज सुपर्द किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वादग्रस्त [illegible] मेघवाल निवासी—[illegible] द्वारा जरिये बेचाननामा दिनांक 24.01.1981 के वादी को [illegible] 300/— में विक्रय [illegible] प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि वादी से प्राप्त कर इसका बेचाननामा नियमानुसार रूपयां—17/—के नोन

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जुडिशियल स्टाम्प पर वादी के पक्ष में दिनांक 24.01.1981 को निष्पादित कर दिया एवम् उसी रोज इस वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया एवम् इसका बेचान दस्तावेज निष्पादित किया जाकर पंजीयन कराने हेतु सब रजिस्ट्रार देसूरी के कार्यालय में गये किन्तु उस रोज सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित नही होने से इस दस्तावेज का बेचान को पंजीयन नही करवाया जा सका। उसके बाद कई बार वादी ने विक्रेता तारा को उक्त दस्तावेज बेचान पंजीयन कराने हेतु कहा किन्तु ताराजी आज कल बताते रहे एवम् इस दरमियान विक्रेता श्री तारा का स्वर्गवास हो गया जिससे उसके द्वारा निष्पादित तथाकथित दस्तावेज बेचान पंजीयन नही हो सका है।

विक्रेता तारा का स्वर्गवास होने पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण उसकी वारिसान प्रतिवादी 1के नाम हुआ। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एक को कई वबार इस वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री कराने हेतु कहा गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज कल बता कर टालम–टोली करती रही है एवम् अब चूँकि राजस्व रिकोर्ड मे उसका नाम दर्ज होने से उसकी नियत फर्क आ गया है जिससे यह वादग्रस्त आराजी पुनः वादी से लेने की मंशा रखती है।

यह है कि वक्त बेचान से यानि दिनांक 24.01.1981 से यानि पिछले 21 वर्षो से लगातार इस वादग्रस्त आराजी पर बिना किसी हस्तक्षेप, बाधा, के खुलेआम शांतिपूर्वक बतौर खातेदारी अधिकार के रूप में वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे इस वादग्रस्त आराजी का प्रतिकूल कब्जा (एडवर्ड पजेशन) हो चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी विधिक रूप से वादी की खातेदारी की हो चुकी है एवम् विधिक रूप से वादी को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नही रहा है न आज ही उसका कब्जा है। सिर्फ फौतेदगी नामान्तरकरण उसके नाम दर्ज हो जाने से इसका नाजायज फायदा उठाना चाहती है। वादी वादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी की घोषित कराने का अधिकारी है। अतः वादी यह वाद हस्ब धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 एक के नाम सिर्फ फौतेदगी नामान्तरकरण होकर यह वादग्रस्त आराजी सिर्फ राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी की दर्ज होने से उसकी नियत में फर्क आ गया है। जिससे राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज दखल, हस्तक्षेप, अवरोध बाधा करने पर आमादा है [illegible] वादग्रस्त आराजी को अन्य हस्तांतरण, खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। [illegible] संख्या [illegible] के जरिये निषेधाज्ञा रोका जाना नितांत आवश्यक है। अतः वादी यह [illegible] विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के स्थायी निषेधाज्ञा का हस्ब धारा 188, 92ए राजस्थान का[illegible]कारी अधिनियम के तहत भी प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम देसूरी तहसील–देसूरी में स्थित खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान रूपये 1.25 वादी की खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व रिकोर्ड में यह आराजी वादी के नाम खातेदारी की दर्ज करवाई जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म–बारानी में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी हस्तक्षेप करने से रोका जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद तलबी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि मौजा ग्राम देसूरी में स्थित आराजियात पुराने खसरा नम्बर 342/7 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में से 1.25 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वादी ने मुस्समी तारा पुत्र भगवानजी से दिनांक 24.01.1981 को खरीद नही की है न ही वादी को इस जमीन का कब्जा सौपा गया, वादी का यह लिखना कत्तई गलत है कि वादी इस भूमि पर काबिज है।

बेचान नामा दिनांक 24.01.1981 के प्रतिफल के रूप में रूपया 300/– मुस्समी तारा पुत्र भगवानजी को अदा नही किये, न ही तारा पुत्र भगवानजी ने कोई बेचान नामा निष्पादित किया। तथा नही वादी को कब्जा सौंपा है। वादी का यह लिखना भी गलत है कि दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु सब रजिस्ट्रार देसूरी गये तथा उस रोज सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित नही होने से दस्तावेज पंजीयन नही हो सका। बिना पंजीयन के कोई बेचान नामा विधि अनुसार नही माना जा सकता है। यादि एक रोज उप पंजीयन नही मिले तो दूसरे रोज या उसके आगे चार माह की अवधि में दस्तावेज पंजीयन करवाया जा सकता था। यदि कोई दस्तावेज मृत तारा ने निष्पादित किया है उसको सक्षम कार्यालय में स्वयं वादी पेश कर पंजीयन की कर पंजीयन की कार्यवाही करवा सकता था तथा संविदा पालना हेतु वादी जरिये नोटिस इत्तला भी दे सकता था। तथा पंजीयन के अभाव में साक्षी में ग्राहण नही हो सकता है। न ही इस प्रकार के अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से वादी में कोई हक अधिकार ही निहित हो सकते है।

यह लिखना भी गलत है कि वादी गत 21 वर्षो से लगातार इस आराजी पर बिना हस्तक्षेप व बाधा के खुले आम शन्तिपूर्वक बतौर खातेदार के काबिज है। वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई हक अधिकार नही मिलते हे। मौके पर आज भी प्रतिवादी संख्या 1 कब्जा काश्त है। वादी द्वारा कथित दस्तावेज दिनांक 24.01.1981 प्रतिवादी संख्या 1 के हितों के प्रति शून्य प्रभावी है। जो साक्षी में ग्राह्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि वादी को कोई [illegible] होता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर करीब एक [illegible] पूर्व मौके पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है जो कब्जा गैर कानूनी है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन का कब्जा प्रतिवादी

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

संख्या–1 की जमीन का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 प्राप्त करने की अधिकारिणी है। जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 ने तहसीलदार के समक्ष 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् छोगाराम पुत्र रघुनाथजी राईका व मोहनलाल गर्ग के विरूद्ध कार्यवाही पेश की थी किन्तु उसमें प्रतिवादी संख्या 1 को न्याय नही मिला है। प्रतिवादी संख्या 1 इसके लिये पृथक से कार्यवाही करेगी।

यह है कि वादी ने दस्तावेज दिनांक 24.01.1981 फर्जी तैयार किया है। जिस पर तारा के निष्पादन करने के हस्ताक्षर अगूष्ठ नही हे। यादि गुमराह कर तारा के हस्ताक्षर प्राप्त भी कर लिये हो तो लिखत बिना प्रतिफल के है व अनरजिस्टर्ड है जो साक्षी में ग्राहृय नही है। जिससे इस लिखत के आधार पर वादी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने हेतू प्रस्तुत किया गया। जो स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रिकोर्ड पर लिये गये।

न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2008 वकील वादी के अनुपस्थित रहने से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। जिसके संबंध में वकील वादी द्वारा पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः दरामद के आदेश दिये गये।

न्यायालय द्वारा दिनांक– 28.04.2011 को प्रकरण मे निम्न विचरित की गई :–

तनकी नम्बर–1 आया मौजा सरहद ग्राम देसूरी स्थित पुराने खसरा नम्बर 342/7 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा में से 1.5 बीघा कृषि भूमि मृत तारा ने जरिये बेचान नामा दिनांक 24.01.1981 को वादी को विक्रय कर दी है............जिम्मे वादी

तनकी नम्बर–2 आया बेचान की गई उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर बने है.....जिम्मे वादी

तनकी नम्बर– 3 आया आराजियात मुतनाजा पर गत 21 वर्ष से कबजा लगातार होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है.......जिम्मे वादी

तनकी नम्बर –4 आया दस्तावेज दिनांक 24.01.1981 साक्ष्य में ग्राहृय नही है ....जिम्मे प्रतिवादी संख्या–1

तनकी नम्बर –5 आया वादी को मौके पर [illegible] कब्जा नही है या जो एक वर्ष पूर्व अनाधिकृत किया गया है................जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर–6 आया दस्तावेज दिनांक 24.01.1981 फर्जी व बिना प्रतिफल के है......... जिम्मे प्रतिवादी

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पत्रावली शहादत वादी मे रखी गई। वादी की ओर से गवाह मोतीलाल व थानाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी की ओर से अपनी साक्ष्य मे गवाह पीडब्लू–1 मोतीलाल के बयान लेखबद्ध कराये एवं न्यायालय मे परीक्षित कराये गये एवं इस गवाह द्वारा दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये। अधिवक्ता प्रतिवादी को शहादत पेश करने के लिए अवसर देने के बावजूद शहादत पेश नही की गई अतः शहादत प्रतिवादी का अवसर बन्द किया गया।

बहस एकपक्षीय अधिवक्ता वादी की समायत की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद–पत्र मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुए वाद–पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाकर मुकदमें में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दुओं का तनकियातवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नम्बर–1 आया मौजा सरहद ग्राम देसूरी स्थित पुराने खसरा नम्बर 342/7 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा में से 1.5 बीघा कृषि भूमि मृत तारा ने जरिये बेचान नामा दिनांक 24.01.1981 को वादी को विक्रय कर दी है...........जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श–1–ए एवं प्रदर्श–6 बेचान नामा नियमानुसार रूपया–17/– के नोन जुडिशियल स्टाम्प पर वादी के पक्ष मे दिनांक 24.01.1981 को प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के पिता तारा द्वारा निष्पादित होना बताया है। जो कि एक अंपजीकृत दस्तावेज है। अंपजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादी द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 41 में खातेदारी के हित की अन्तरणीयत के संबंध में प्रावधान किये गये है। एक खातेदार अपनी जोत का विक्रय कर खातेदारी के हित को अन्तरणीय कर सकेगा। सम्पति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में विक्रय की परिभाषा वर्णित करते हुए यदि ऐसा अंतरण 100/– रूपये एवम् उसके अधिक के मूल्य का है तो केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। इकरार नामा रजिस्ट्रीक त नहीं है तो इससे वाद भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। वादी द्वारा वाद के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य पी.डब्ल्यू–1 मोतीलाल, पी.डब्ल्यू–2 थानाराम पेश किये गये। मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकता है [illegible] अभिलेख आधारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन से न्यायालय की [illegible] विक्रय विलेख जिसके जरिये सम्पति अन्तरण किया गया है, रजिस्ट्रीकृत [illegible] साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः तनकी संख्या–1 का निर्णय एवम् निस्तारण वादी विरूद्ध किया जाना उचित एवम् न्याय संगत है। अतएव तनकी नम्बर 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तनकी नम्बर–2 आया बेचान की गई उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर बने है.....जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार से यह स्पष्ट होता है कि नये खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 342/7 मीन से बने है ना कि 342/7 से बने है। जैसा कि वादी ने वाद पत्र में वर्णित किया है। अतः न्यायालय तनकी संख्या 2 का निर्णय एवम् निस्तारण वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाती है।

तनकी नम्बर– 3 आया आराजियात मुतनाजा पर गत 21 वर्ष से कबजा लगातार होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है.......जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है। वादी द्वारा 21 वर्षो से लगातार इस आराजी पर बिना हस्तक्षेप व बाधा के खुले आम शान्तिपूर्वक बतौर खातेदार के काबिज होना बताया हैं। परन्तु इस संबंध में वादी द्वारा पजेशन की अवधि व निरन्तरता के संबंध में न्यायालय में किसी प्रकार का अभिलेखीय दस्तावेज पेश नही किया गया है। केवल गवाहो ने अपने बयानो में कब्जा काश्त माना है। एडवर्स पजेशन साबित नही होता है। अतः न्यायालय तनकी संख्या 3 का निर्णय एवम् निस्तारण वादी के विरूद्ध किया जाना उचित एवम् न्याय संगत समझता है अतएव तनकी नम्बर 3 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर –4 आया दस्तावेज दिनांक 24.01.1981 साक्ष्य में ग्राह्य नही है ....जिम्मे प्रतिवादी संख्या–1

इस तनकीयात का साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा में व्यक्त किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बेचान नामा विधि अनुसार नही माना जा सकता है। उक्त बेचान 100 रूपये एवम् उससे अधिक के मूल्य का है एवम् इसका पंजीकृत होना आवश्यक है। अंपजीकृत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नही हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–5 आया वादी का मौके पर कास्त कब्जा नही है या जो एक वर्ष पूर्व अनाधिकृत किया है ......जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से इस संबंध में कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किये गये। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–6 आया दस्तावेज दिनांक 24.01.1981 फर्जी व बिना प्रतिफल के है........... जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–1 पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में व्यक्त किया है कि लिखत दिनांक 24.01.1981 फर्जी तैयार किया हैं। जिस पर तारा के निष्पादन करने के हस्ताक्षर अंगूष्ठ नही है। जिससे इस लिखत बिना प्रतिफल के है। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से किसी भी प्रकार की अभिलेखीय या मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्तानुसार न्यायालय द्वारा वाद में निर्णयन हेतु 6 तनकीयाता विचरित की गई। जिसमें तनकी नम्बर 1, 2, 3, को साबित करने का भार वादी पर था, जिसमें वादी असफल रहा एवम् उक्त तनकीयात वादी के विरूद्ध निर्णित की गई। तनकी नम्बर 4, 5, 6, को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी पर था, परन्तु प्रतिवादी अनुपस्थित रहा। तनकी नम्बर 4 पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में साबित हुई एवम् 5 एवं 6 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की गई।

इस वाद में निर्णयन हेतु महत्वपूर्ण प्रथम तीन तनकियात वादी के विरूद्ध निर्णित की गई। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89,188, 92ए के सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित एवम् न्यायसंगत समझता है। अतः

–: आदेश :–

अतः वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– मौजा ग्राम देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली में कृषि भूमि आराजी पुराने खसरा नम्बर 342/7 रकबा 6 बीघा 3 जिसके नये खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की खातेदारी में किसी प्रकार दखल अंदाजी नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 23/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस.

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादीगण
मोतीलाल पुत्र मोहनलाल जी आयु–वयस्क जाति–गरूडा, निवासी–देसूरी जिला–पाली		1. मृतक भीखी पुत्री ताराजी पत्नी भीमारामजी जाति–मेघवाल निवासी–देसूरी के कायम मुकाम वारिसान 1/1 हिम्मतराम पुत्र भीमारामजी 1/2 कीकी उर्फ पिस्ता पुत्री भीमारामजी पत्नी खरताराम जी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 88,89, 92ए,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 70/2002

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री दिलीप व्यास मुदई ..... मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– मौजा ग्राम देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली में कृषि भूमि आराजी पुराने खसरा नम्बर 342/7 रकबा 6 बीघा 3 जिसके नये खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.25 हैक्टर खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की खातेदारी में किसी प्रकार दखल अंदाजी नही करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23. माह 03 सन् 2020 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
देसूरी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:03 IST
Reason: SelfAttested